राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(263) ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/उपापन 2015–16 जयपुर, दिनांक 13 अगस्त 2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र) समस्त, राजस्थान।

विषयः– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 16 की पालना के सम्बन्ध में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सहित निर्माण कार्य हेतु सम्बन्धित संकर्मों की आनुषंगिक सामग्री के उपापन बाबत मार्गदर्शक सिद्धान्त।

प्रसंग :– राजस्थान राज पत्र में जारी वित्त (जी.एण्ड टी.) विभाग की अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई, 2016 द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 16 के उपनियम– 1 में संशोधन।

विषयान्तर्गत वित विभाग की प्रासांगिक अधिसूचना अनुसार विभागीय योजनाओं में सम्पादित कराये जाने वाले विकास/निर्माण कार्य हेतु सम्बन्धित संकर्मों की आनुषंगिक सामग्री का उपापन उक्त प्रासंगिक अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के तहत सम्पादित की जानी है। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 16 के तहत ''सीमित बोली'' प्रकिया के प्रावधान वर्णित है। उक्तानुसार नियम 16 के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् और/या कार्यकारी एजेन्सियों के रूप में उनकी सम्बन्धित समितियां को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु वित्त विभाग द्वारा प्रासांगिक अधिसूचना अनुसार निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :–

''2.''**नियम 16 का संशोधन** – राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 16 में –

i. उप नियम (1) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ''।'' के स्थान पर विराम चिह्न ''ः'' प्रतिस्थापित किया जायेगा ; और

ii. इस प्रकार संशोधित उप–नियम (1) में , निम्नलिखित परंतुक जोड़े जावेंगे, अर्थात् :–

''परन्तु यह कि कोई पंचायती राज संस्था या उसकी समिति सीमित बोली की पद्धति अंगीकृत कर सकेगी यदि उस विषयवस्तु की प्राक्कलित लागत या मूल्य एक अवसर पर पांच लाख रूपये से कम हो किन्तु यह किसी वित्तीय वर्ष में पचास लाख रूपसे से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि उपापन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार पंचायती राज संस्था या उसकी समिति द्वारा किया जायेगा।

राजस्थान राज पत्र की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 16 मार्च, 2016, भाग– 6 (ग) ग्राम पंचायत सम्बन्धी विज्ञप्तियां आदि। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अनुभाग–5 अधिसूचना दिनांक 2016 जो कि वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या– एफ–1(8)एफडी/ जीएफएण्डएआर/ 2011 दिनांक 4 सितम्बर, 2013 की संशोधित अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2016 के द्वारा क्रम संख्या– 44 और उसकी प्रविष्ठियों के स्थान पर किये गये संशोधन के क्रम में दिशा–निर्देश/सामान्य शर्ते जारी की गई थी। इसी क्रम में वित्त विभाग की प्रासांगिक अधिसूचना